

कार्यालय आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड प्रथम, जोधपुर
सेक्टर-11, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर



मुहरबन्द नीलामी हेतु विभाग की वेबसाईट में प्रकाशनीय विज्ञप्ति का प्रारूप

चौपासनी योजना, जोधपुर स्थित सम्राट अशोक उद्यान के बाहर 04 निर्मित व्यावसायिक दुकान
की मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा भव्य नीलामी बोली

नीलामी बोली हेतु मोहरबन्द प्रस्ताव प्राप्त करने की अवधि दिनांक 01.05.2015 से 11.05.2015 सायं 6:00 बजे तक	नीलामी बोली में प्राप्त मोहरबन्द प्रस्तावों को खोलने की तिथि एवं समय दिनांक 12.05.2015 सुबह 11:00 बजे
--	---

क्र.सं.	निर्मित दुकान नं.	कॉर्नर/ सामान्य	दुकान का क्षेत्रफल/माप आदि का विवरण	न्यूनतम बिड मूल्य (प्रति दुकान) (लाखों में)
01	02	03	04	05
1	22-S-43	सामान्य	52.53 sqm	80,00,000.00
2	22-S-44	सामान्य	51.00 sqm	78,00,000.00
3	22-S-45	सामान्य	51.00 sqm	78,00,000.00
4	22-S-46	सामान्य	63.69 sqm	86,00,000.00

- 1) बिडदाताओं द्वारा नीलामी बोली में बिड प्रस्तुत करने हेतु बिड आवेदन पत्र मय नीलामी बोली की शर्तों के विस्तृत विवरण, संबंधित कार्यालय से दिनांक 01.05.2015 से 11.05.2015 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान अथवा मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

सम्पर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड प्रथम, सेक्टर 11, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर फोन : 02912700180	उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत द्वितीय, सेक्टर 11, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर फोन : 02912711912
---	--

बिडदाता हेतु बिड आवेदन का प्रारूप

- 1) बिडदाता का नाम :
- 2) पिता/पति का नाम :
- 3) सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति :

(अ0जा0/ज0जा0 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

- 4) पता :
.....(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

- 5) पेन नंबर :(पेन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

- 6) दूरभाष : मोबाईल नम्बर

- 7) अमानत राशि एवं परिसम्पत्ति का विवरण :-

- (अ) योजना का नाम : सेक्टर :

- (ब) आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवासीय मकान/प्लेट/निर्मित दुकान/व्यवसायिक कियोस्क भूखण्ड (जो लागू ना हो उसे काट दे) संख्या : माप के लिये न्यूनतम बिड मूल्य अनुसार अमानत राशि रूपये की डी.डी./बैंकर चैक संख्या दिनांकजारीकर्ता बैंक का नाम संलग्न है।

—: नीलामी की शर्तें :-

- 1) प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। तथा राशि रूपये 10.00 करोड़ से अधिक के न्यूनतम बोली मूल्य पर अमानत राशि के रूप में रूपये 50.00 लाख अथवा न्यूनतम बिड मूल्य का 05 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जमा करानी होगी।
- 2) उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 72 घन्टे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी।

पासपोर्ट साईज
की फोटो यहाँ
चिपकायें।

- 3) शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं कराता हैं तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी।
- 4) बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि/समय के पश्चात् प्राप्त हुये मुहरबन्द बिड प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5) बिड प्रस्ताव में यदि बिडदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लेख किया जाता है, तो ऐसे सशर्त बिड प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 6) बिडदाता द्वारा परिसम्पति की अंकों में व शब्दों में प्रस्तुत बिड दर/ राशि में अन्तर होने की स्थिति में, शब्दों में उल्लेखित बिड दर/राशि ही मान्य होगी।
- 7) किसी एक अथवा समस्त बिड प्रस्तावों को बिना कारण बताये, निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है एवं इस संबंध में कोई वाद/ विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
- 8) निर्मित आवासीय मकान/फ्लेट/व्यावसायिक भूखण्ड/व्याव. कियोस्क/निर्मित दुकान "जहाँ है जैसा है" के आधार पर निस्तारित किये जायेगें।
- 9) निर्मित आवासीय मकान/फ्लेट/व्यावसायिक भूखण्ड/व्याव. कियोस्क/निर्मित दुकान का वास्तविक माप मौके पर उपलब्ध अनुसार ही अंतिम होगा एवं तदनुसार ही गणना की जावेगी।
- 10) किसी परिसम्पति हेतु प्राप्त मुहरबन्द बोली प्रस्तावों में से एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा समान दर प्रस्तुत करने की स्थिति में, समिति द्वारा मौके पर उपस्थित एक समान बोलीदाताओं से बन्द लिफाफे में उसी समय पुनः दर प्राप्त की जावेगी। जोकि पूर्व में प्रस्तुत दर से कम नहीं होगी। किसी बोलीदाता के मुहरबन्द बिड खोले जाने के समय पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसका दरों के संबंध में किसी प्रकार का वाद मान्य नहीं होगा।
- 11) निर्मित आवासीय मकान/फ्लेट के लिए लीज मनी की राशि आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक एवं व्यावसायिक भूखण्ड/व्याव. कियोस्क/निर्मित दुकान के लिए भूमि की आरक्षित दर की आरक्षित दर की 5.0 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त रूप से देय होगी।

- 12) बिड के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल के नियमों/शर्तों में समय-समय पर किये गये संशोधन/संवर्धन मान्य होंगे।
- 13) नीलामी बोली के नियमों/शर्तों एवं अन्य जानकारी मेरे द्वारा संबंधित कार्यालय/मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर ली गयी है।
- 14) निर्मित आवासीय मकान/फ्लेट/व्यावसायिक भूखण्ड/व्याव. कियोस्क/निर्मित दुकान हेतु बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण फ्लेट की एक मुश्त कीमत ही बिड में भरी जावे।
- 15) आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड एवं संस्थानिक हेतु प्रति वर्गमीटर की दर से बिड प्रस्तुत के निर्देशों के विपरीत यदि बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड की एकमुश्त कीमत बिड में भरी जाती है, तो ऐसी स्थिति में, अन्य बोलीदाताओं की दरों से तुलना की दृष्टि से, एकमुश्त कीमत को विज्ञप्ति में दर्शित भूखण्ड के क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रति वर्गमीटर दर निकाली जायेगी।
- 16) खुली बोली न्यूनतम 100/- रुपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मुहरबन्द निविदा पर लागू नहीं होगी।
- 17) सेवाकर एवं अन्य कर नियमानुसार वसूलनीय होंगे।
- 18) सम्राट अशोक उद्यान के मुख्य द्वारा के सामने स्थित दुकानों की समरूपता को बनाये रखने के लिए छत पर निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
- 19) दुकानों के सामने स्थित बरामदा पैदल व्यक्तियों के चलने के लिए होगा जिसका स्वामित्व रा.आ.म., के पास होगा।
- 20) दुकानों के भूतल के पीछे दीवार में खिड़की/दरवाजा निकालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 21) अन्य उक्त दुकानों में निर्मित बेसमेन्ट, भूतल, प्रथम तल की नियम एवं शर्तें मण्डल नियमानुसार होगी।

उद्घोषणा

मैं/हम पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
बिडदाता आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवासीय
मकान/फ्लेट/निर्मित दुकान/व्यवसायिक कियोस्क भूखण्ड (जो लागू ना हो उसे काट दे)
संख्या योजना का नामसेक्टर
घोषणा करता/करते हूँ/है कि मैंने/हमने राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उक्त नीलामी
हेतु आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त नीलामी सम्बन्धी नियमों/विनियमों/शर्तों एवं
उनमें समय-समय पर किये गये संशोधनों/संवर्द्धनों को भली-भांति समझ लिया है।

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते है कि नीलामी समिति द्वारा मेरी/हमारी उच्चतम
दर होने पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाने के परिणामस्वरूप, मुझे/हमें नीलामी स्वीकृति
का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नीलामी बोली मण्डल के सक्षम
स्तर से स्वीकृत नहीं कर दी जाती है एवं इस सम्बन्ध में, मैं/हम कोई विवाद उत्पन्न नहीं
करूंगा/करूंगी/करेंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

बिड प्रस्ताव

मैं/हम आवासीय /वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवासीय
मकान/फ्लेट/ निर्मित दुकान/व्यवसायिक कियोस्क भूखण्ड (जो लागू ना हो उसे काट
दे) संख्या योजना का नाम सेक्टर
..... के लिए अपनी/हमारी बिड दर रुपये (अंको में) (शब्दों में
रुपये) प्रति वर्गमीटर/प्रति
मकान/फ्लेट/दुकान प्रस्तुत करता/करती हूँ/करते है। (जो लागू ना हो उसे काट दें)

हस्ताक्षर बोलीदाता

लिफाफे पर लिखे जाने वाले विवरण का प्रारूप

1) आवासीय /वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवासीय मकान /प्लेट/
निर्मित दुकान/व्यवसायिक कियोस्क भूखण्ड (जो लागू ना हो उसे काट दे) संख्या का
विवरण :

(अ) योजना का नाम : सेक्टर :.....

(ब) आवासीय /वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवासीय मकान/प्लेट
/निर्मित

दुकान/व्यवसायिक कियोस्क भूखण्ड (जो लागू ना हो उसे काट दे) संख्या :

.....

2) बिडदाता का नाम :

3) श्रेणी-सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति :

4) संलग्न अमानत राशि रूपये : डी0डी0 / बैंकर चैक

संख्या दिनांक जारीकर्ता बैंक का नाम

.....

5) मुहरबंद बिड खोलने की निर्धारित तिथि :.....

बिडदाता के हस्ताक्षर